



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800]
No. 800]नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1284(अ).—(i) रेलवे के मालगोदामों, पार्सल कार्यालयों; (ii) अन्य मालगोदामों, गोदामों, भाण्डागारों आदि, और; (iii) डॉकों और पत्तनों में माल की लदाई और उतराई के अनुसूचित रोजगार" में लगे कर्मचारियों को संदेय दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 131(अ) में तारीख 13 जनवरी, 2009 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 14 जनवरी, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने

के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करती है ।

मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

- (क) इसके साथ संलग्न अनुसूची के भाग I के स्तंभ(1) में उपवर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उसके स्तंभ (2) में उल्लिखित संदेय मजदूरी की मूल दरें ; और
- (ख) उक्त अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ते को (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्ती मंहगाई भत्ता कहा गया है) उक्त अनुसूची के भाग II के कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमशः 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को आरम्भ होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची

भाग I : न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें

क्षेत्र	(दैनिक मजदूरी रुपये में)
(1)	(2)
क	180.00 रुपये
ख	150.00 रुपये
ग	120.00 रुपये

भाग II : परिवर्ती महंगाई भत्ता दर

उपाबंध

क्षेत्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए 133 से परे प्रत्येक अंक वृद्धि या गिरावट के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता दर जो औद्योगिक कर्मकारों के लिए है।

(1)	(2)
क	1.35 रुपये
ख	1.13 रुपये
ग	0.90 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में यथाउपदर्शित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर की दूरी के सभी स्थान शामिल होंगे। क्षेत्र "ग" में उपाबंध के क्षेत्र "क" और "ख" में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे, जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 विस्तारित होता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा उन्नयन किए गए स्थानों को इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिवर्धन या उन्नयन की तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।
2. जहां किसी संविदा अथवा करार के आधार पर अथवा अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ लागू होने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी दरें मानी जाएंगी।
3. न्यूनतम मजदूरी दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए मजदूरी भी शामिल है।
4. न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होती हैं।
5. निःशक्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय दरों के समान होंगी।
6. पुरुष और महिला कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी की दरें प्राप्त करेंगे।
7. न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता दोनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रवर्तनीय न्यूनतम मजदूरी दरों का गठन करेंगे।

क्षेत्र 'क'

अहमदाबाद	(यू ए)	हैदराबाद	(यू ए)
बंगलुरु	(यू ए)	कानपुर	(यू ए)
कोलकाता	(यू ए)	लखनऊ	(यू ए)
दिल्ली	(यू ए)	चैन्नई	(यू ए)
वृहत्तर मुम्बई	(यू ए)	नागपुर	(यू ए)

क्षेत्र 'ख'

आगरा	(यू ए)	जमशेदपुर	(यू ए)
अजमेर		जोधपुर	
अलीगढ़		कोच्चि	(यू ए)
इलाहाबाद	(यू ए)	कोल्हापुर	(यू ए)
अमरावती		कोझीकोड	(यू ए)
औरंगाबाद	(यू ए)	कोटा	
बरेली	(यू ए)	लुधियाना	
भावनगर		मदुरै	(यू ए)
बीकानेर		मेरठ	(यू ए)
भोपाल		मुरादाबाद	(यू ए)
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू ए)
अमृतसर		नासिक	(यू ए)
चंडीगढ़	(यू ए)	पुणे	(यू ए)
कोयम्बटूर	(यू ए)	पटना	(यू ए)
कटक	(यू ए)	रायपुर	(यू ए)
दुर्गापुर		राजकोट	
फरीदाबाद, कम्प्लैक्स		रांची	(यू ए)
गाजियाबाद	(यू ए)	शोलापुर	(यू ए)
गोरखपुर		श्रीनगर	(यू ए)
गुवाहाटी शहर		सूरत	(यू ए)
गुन्डूर		तिरुवनन्तपुरम	(यू ए)
ग्वालियर	(यू ए)	वडोदरा	(यू ए)
इन्दौर	(यू ए)	वाराणसी	(यू ए)
हुबली-धारवाड		विजयवाड़ा	(यू ए)
जबलपुर	(यू ए)	विशाखापट्टनम	(यू ए)
जयपुर	(यू ए)	वारंगल	

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

कृपया ध्यान दें : यू ए नगर बस्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

[फा. सं. एस-32017/1/2007-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1284(E).—Whereas the proposals to revise the minimum rates of wages per day payable to the employees engaged in the Scheduled employment of “Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goodsheds, Godowns, Warehouses, etc., and; (iii) Docks and Ports”, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 131 (E), dated 13th January, 2009 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months, from the date on which copies of Gazette notification were made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 14th January, 2009;

And, whereas, no objections or suggestions have been received on the said proposals by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby fixes the minimum rates of wages payable to the employees employed in this Scheduled employment.

The minimum rates of wages, which will be effective from the date of this notification shall consists of —

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part-I of the Schedule annexed herewith and payable to the employees working in areas mentioned in Column (1) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in Part II of the said Schedule shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months commencing on the 1st October and 1st April on the basis of average Consumer Price Index Number for Industrial Workers for the each preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate mentioned in Column (2) of Part-II of the said Schedule.

SCHEDULE

Part I : Basic rates of minimum wages

Area	Daily wage (in Rupees)
(1)	(2)
A	Rs. 180
B	Rs. 150
C	Rs. 120

Part II : Rate of Variable Dearness Allowance

Area Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 133, which is the average monthly Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the period July-December, 2007.

(1)	(2)
A	Rs.1.35
B	Rs.1.13
C	Rs.0.90

Explanation.—For the purpose of this notification,—

1. Area “A” and Area “B” as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place. Area ‘C’ shall comprise of all the other places not mentioned in Areas “A” and “B” of the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends. The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this draft proposal.
2. Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.
3. The minimum rates of wages include also the wages for weekly day of rest.
4. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.
5. The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category.
6. The men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature.
7. The minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

		ANNEXURE			
	AREA - "A"			Amritsar	Nasik (UA)
Ahmedabad	(UA) Hyderabad	(UA)		Chandigarh (UA)	Pune (UA)
Bangaluru	(UA) Kanpur	(UA)		Coimbatore (UA)	Patna (UA)
Kolkata	(UA) Lucknow	(UA)		Cuttack (UA)	Raipur (UA)
Delhi	(UA) Chennai	(UA)		Durgapur	Rajkot
Greater Mumbai	(UA) Nagpur	(UA)		Faridabad Complex	Ranchi (UA)
	AREA - "B"			Ghaziabad (UA)	Sholapur (UA)
Agra	(UA) Jamshedpur	(UA)		Gorakhpur	Srinagar (UA)
Ajmer	Jodhpur			Guwahati City	Surat (UA)
Aligarh	Kochi	(UA)		Guntur	Thiruvananthapuram (UA)
Allahabad	(UA) Kolhapur	(UA)		Gwalior (UA)	Vadodara (UA)
Amravati	Kozhikode	(UA)		Indore (UA)	Varanasi (UA)
Aurangabad	(UA) Kota			Hubli-Dharwad	Vijayawada (UA)
Bareilly	(UA) Ludhiana			Jabalpur (UA)	Vishakhapatnam (UA)
Bhavnagar	Madurai	(UA)		Jaipur (UA)	Warangal
Bikaner	Meerut	(UA)			
Bhopal	Moradabad	(UA)			
Bhubaneswar	Mysore	(UA)			

Area 'C' will comprise all areas not mentioned in this list.

NB : U.A. stands for Urban Agglomeration.

[F. No. S-32017/1/2007-WC (MW)]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General